B.A. III Honours
Paper VI
M.A. JOHN

JOINT FAMILY

संयुक्त परिवार

परिवार समाज की आधार भूत संस्था तथा समूह है। यह प्राकृतिक संस्था जहाँ व्यक्ति के समाजीकरण का कार्य होता है। इसी में स्वयं व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है इसलिये यह कहा जा सकता है कि जिस देश के नागरिक में परिवार संगठित और व्यवस्थित रूप से अपना कार्य करते हैं उस देश की समस्त संस्थायें भी सुचारु रूप से कार्य करती है।

भारत में संयुक्त परिवार अति प्राचीन संस्था है। समय और परिस्थितियों के अनुसार इसके ढाँचे में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहे हैं।

विभिन्न विद्वानों ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करने की कोशिश की है। Jolly के अनुसार " न केवल माता पिता तथा सन्तानें, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य सम्पत्ति पर रहते हैं बल्कि कभी कभी इसमें कई पीढ़ी की सन्तानें पूर्वज तथा समानान्तर सम्बन्धी भी सम्मिलित रहते हैं। इरावती कर्वे के शब्दों में " एक संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक भवन में रहते हैं, जो एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य सम्पत्ति के स्वामी होते हैं और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं

और जो किसी न किसी प्रकार एक दूसरे के रक्त सम्बन्धी हों।"

डॉ. [illegible] के अनुसार "भारत का एक संयुक्त परिवार सदा से रहा है जिसमें सदस्य पीढ़ियों को सम्मिलित करते हुए [illegible] करते हैं और सामान्य आवास, सम्पत्ति, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था में आबद्ध रहकर एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं।" श्री मुल्ला के अनुसार "संयुक्त परिवार के अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो एक सामान्य पूर्वज के वंशज हैं, इसमें उनकी पत्नियाँ और अविवाहित लड़कियाँ आती हैं।" मुल्ला द्वारा परिभाषित संयुक्त परिवार की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला है। जैसे संयुक्त परिवार की सम्पत्ति संयुक्त होती है। जिसमें एक व्यक्ति [illegible] रहते हैं तथा एक परिवार के सभी सदस्यों को संयुक्त परिवार की सदस्यता प्राप्त होती है।

उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ी के व्यक्ति साथ-साथ रहते हैं अथवा जिनकी सम्पत्ति सामान्य होती है, एक साथ रहते हैं। एक साथ पूजा एवं [illegible] करते हैं। इनकी सम्पत्ति सामान्य होती है। इस परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति कर्ता या मुखिया होता है। जिसके आदेशों का सभी सदस्य पालन करते हैं। भारत में पाये जाने वाले विस्तृत परिवार तथा [illegible] परिवार भी संयुक्त परिवार की ही श्रेणियाँ रहती हैं।